## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 561/2015
दायर दिनांक : 24/11/2015
निर्णय दिनांक : 29.09.2022

**उनवान**

1. डालीबाई बेवा तारू माली निवासी भूपालसागर
2. नारायणी पुत्री तारू माली निवासी भूपालसागर
3. उदीबाई पुत्री तारू माली निवासी भूपालसागर
4. बरजूबाई बेवा नारायण माली निवासी भूपालसागर
5. रविना नाबालिग बविलायत माता बरजूबाई बेवा नारायण माली निवासी भूपालसागर

वादीगण

**बनाम**

1. लालूराम पिता लेरिया माली निवासी भूपालसागर
2. मांगीलाल पिता लेरिया माली निवासी भूपालसागर
3. कालूराम पिता लेरिया माली निवासी भूपालसागर
4. हाकरीबाई बेवा लेरिया माली निवासी भूपालसागर
5. धन्ना पिता तलोक माली निवासी भूपालसागर
6. बाबू पिता तलोक माली निवासी भूपालसागर
7. कंकूबाई पुत्री तलोक पत्नी प्रभुलाल माली निवासी भूपालसागर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भूपालसागर
9. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर
10. कालूराम पिता गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
11. मोहनलाल पिता गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
12. माधूलाल पिता गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
13. श्यामलाल पिता गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
14. भगवानलाल पिता गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
15. गोपीबाई पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर
16. गणेशीबाई पुत्री गणेशलाल कुम्हार निवासी भूपालसागर

**प्रतिवादीगण**

**राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति :** 1. श्री कन्हैयालाल माली
2. श्री बालेन्दु कोठारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.30 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

**:: निर्णय ::**

वकील वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन [illegible] कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजियात मौजा भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है : खतौनी संख्या 472 में दर्ज आ.सं. 181 रकबा 0.32 है., आ.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

सं. 182 रकबा 0.31 है., आ.सं. 183 रकबा 0.29 है., आ.सं. 184 रकबा 0.01 है., आ.सं. 185 रकबा 0.03 है., आ.सं. 186 रकबा 0.12 है., आ.सं. 189 रकबा 0.41 है., आ.सं. 190 रकबा 0.39 है., आ.सं. 191 रकबा 0.25 है., आ.सं. 192 रकबा 0.13 है., आ.सं. 193 रकबा 0.13 है., आ.सं. 194 रकबा 0.27 है. कुल किता 12 रकबा 2.66 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादीगणों का 1/3 हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 473 में दर्ज आराजी सं. 187 रकबा 0.18 है., आ.सं. 188 रकबा 0.14 है., आ.सं. 199 रकबा 0.08 है., आ.सं. 200 रकबा 0.20 है., आ.सं. 201 रकबा 0.18 है., आ.सं. 202 रकबा 0.07 है., आ.सं. 1234 रकबा 0.13 है., आ.सं. 2584/203 रकबा 0.04 है. कुल किता 8 रकबा 1.02 हैक्टेयर में भी वादीगणों का 1/3 हिस्सा निहित है। उपरोक्त आराजियात हम वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की होकर मौखिक विभाजन आसरे अनुसार लगभग 50 वर्ष पूर्व काश्त करते आ रहे हैं। विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स जैर बहस आराजियात का विभाजन नहीं कर रखा है। इस कारण लगान जमा कराने फसल काश्त करने लोन लेने इत्यादि में समस्या रहती है तथा भूमि कम ज्यादा होने का विवाद बना रहता है, इस कारण उपरोक्त वाद वर्णित आराजियात का विधिक रूप से विभाजन करा वादीगणों को वादपत्र की कॉलम संख्या 1 के अ व ब में निहित हक हिस्से को अलग–अलग खाते दर्ज कराया जाना आवश्यक है तथा लगानबंदी भी अलग दर्ज कराई जाकर स्वतंत्र खातेदार दर्ज कराया जाना आवश्यक है। इस कारण पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के वादी को वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 के अ व ब में निहित हक व हिस्से की बंटवाड़ा आराजियात की डिक्री फरमाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये आराजियात को खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। प्रतिवादीगण वादीगणों को अपने हक हिस्से की भूमि पर आने जाने से, फसल काश्त करने से रोक रहे हैं जबकि जैर बहस आराजियात प्रत्येक में वादीगणों का हक हिस्सा निहित है। जब तक विधिक रूप से वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं हो जाता है, प्रतिवादीगण आराजियात को हस्तान्तरण, विक्रय, रहन, बह बख्शीश नहीं कर सकते, न ही वादीगणों को अपने हक हिस्से की भूमि पर आने जाने, फसल काश्त करने, बोने जोने से रोक सकते हैं, इस कारण पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक है। पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाने पर प्रतिवादीगणों को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि इस आशय की डिक्री जारी नहीं फरमाई जाती है तो प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से से बेदखल कर देगें व हक हिस्से से वंचित कर देगें, जिससे वादी को अपार क्षति होगी और भविष्य में मुकदमेंबाजी बढेगी। इस कारण पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक है। वादीगणों ने अपने हक हिस्से व कब्जेशुदा आराजियात को उपजाउ बनाने हेतु सेठ साहुकारों से कर्ज लेकर समतलीकरण करवा काली मिट्टी डलवा कर उपजाउ बनवाई है, जिसमें वादीगणों के सर पर काफी सारा कर्ज हो गया है। जिस कारण से वादी को वादी की कब्जेशुदा आराजियात पर ही विभाजन करा कब्जा सिपूर्द करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने प्रतिवादीगणों को दिनांक 01.03.2013 आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजियात का विधिक रूप से विभाजन करने को कहा, तो प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुऐ व वादी को अपने हक हिस्से की भूमि पर फसल काश्त करने, आने जाने, फसल लाने जे जाने व बोने जोने से रोकने की धमकी दी। जिससे वाद हेतुक कारण दिनांक 01.03.2013 को पैदा होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 8 को जैर बहस आराजियात रहन होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 9 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये हैं। अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजियात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वर्णित वादग्रस्त आराजियात का विधिक विभाजन वादपत्र की कॉलम संख्या 1 के (अ) में वर्णित आराजियात में वादी के 1/3 हक हिस्से, (ब) में वर्णित आराजियात के 1/3 हक हिस्से अनुसार विभाजन करा मौके पर कब्जे अनुसार कायम करा तदनुसार लगानबंदी क[illegible] करा अलग [illegible] पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि [illegible] चरण संख्या 1 में वर्णित जैर बहस आराजियात का विधिक रूप विभाजन नहीं हो जाता, तब तक [illegible] हिस्से की भूमि में आने जाने से नहीं रोके, फसल काश्त करने, [illegible] वादी के हक हिस्से की आराजियात से बेदखली नहीं करे तथा प्रतिवादीगण [illegible] किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय व बख्शीश हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करे, ऐसा न तो प्रतिवादीगण स[illegible] करे, न ही अपने परिवारजन इत्यादि से ऐसा करावें। तामूल फैसला पाबंद फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.30 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, उभयपक्ष को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रकरण में न्याय आपके द्वार अभियान–2015 में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आरायाजियात का बंटवारा कराये जाने हेतु आपसी सहमति होना जाहिर किया तथा मूल वाद संख्या 4/2014 एवं 68/2013 के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने की भी सहमति दिये जाने पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2015 को जारी की गई तथा मुताबिक राजीनामा मूल वाद संख्या 4/2014 एवं 68/2013 के अंतिम निस्तारण तक वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र संख्या 6/2014 में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने का आदेश दिया गया। न्यायालय में एक वाद 68/2013 पूर्ववर्ती होकर विचाराधीन होने एवं वाद संख्या 4/2014 पश्चातवर्ती होने व एक ही आराजियात का होने से सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत संलग्न किये गये। उपखण्ड कार्यालय, भूपालसागर नवसृजित होने से उक्त प्रकरण संख्या 68/2013 का नवीन नंबर 561/2015 दर्ज किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, भूपालसागर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उक्त जारी डिक्री की पालना में तहसीलदार, भूपालसागर ने बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 19.02.2016 को प्रेषित की। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 10 से 16 की ओर से आदेश 1 नियम, 10 प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2015 को प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 23.11.2017 को स्वीकार हुआ। उक्त प्रतिवादी संख्या 10 से 16 की ओर से संशोधित उनवान का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2021 को मय वकालतनामा एवं जवाबदावा दिनांक 15.09.2021 को प्रस्तुत हुआ।

मूल वादी श्री तारू पिता नन्दा माली निवासी भूपालसागर के द्वारा दौराने वाद दिनांक 20.05.2014 को वादग्रस्त आराजियात में से ग्राम भूपालसागर की आ.सं. 181 रकबा 0.32 है., आ.सं. 182 रकबा 0.31 है., आ.सं. 183 रकबा 0.29 है., आ.सं. 184 रकबा 0.01 है., आ.सं. 185 रकबा 0.03 है., आ.सं. 186 रकबा 0.12 है., आ.सं. 189 रकबा 0.41 है., आ.सं. 190 रकबा 0.39 है., आ.सं. 191 रकबा 0.25 है., आ.सं. 192 रकबा 0.13 है., आ.सं. 193 रकबा 0.13 है., आ.सं. 194 रकबा 0.27 है. कुल किता 12 रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि में से अपना कुलिया हिस्सा 1/3 भाग को बेचान श्रीमती नाथीबाई पत्नी गणेश कुम्हार निवासी भूपालसागर को कर दिया गया एवं इस बेचान बाबत न्यायालय को किसी भी प्रकार की जानकारी क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा नहीं दी गई। क्रेता की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान के द्वारा प्रस्तुत वाद में आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बन जवाब प्रस्तुत किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस के दौरान वकील वादी ने प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादी संख्या 10 से 16 ने उक्त प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने पर असहमति जताते हुऐ स्वयं के कब्जे अनुसार डिक्री जारी करने एवं वाद में संशोधित तनकी जारी करने का भी निवेदन किया। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 10 से 16 से निर्णय दिनांक के दिन उपस्थित होकर एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वाद में मूल वादी श्री तारू पिता नन्दा माली निवासी भूपालसागर के द्वारा मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा चाहा गया। इसके पश्चात उक्त मूल वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से भूमि का विक्रय कर दिया जाना तथा इस तथ्य को न्यायालय की जानकारी में नहीं लाया जाना न्याय संगत नहीं है। इसके पश्चात न्याय आपके द्वारा अभियान–2015 में वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी करवाई, तत्समय तक उक्त भूमि की क्रेता श्रीमती नाथीबाई के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति बाबत बंटवारा जाहिर नहीं की गई एवं न ही लिखित में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। क्रेता के वारिसान के द्वारा आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की जाने के पश्चात सहमति बंटवारा पर आपत्ति की जाना तथा वर्तमान में मौके पर कब्जे अनुसार अंतिक डिक्री जारी की जाने का तर्क न्यायसंगत नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में स्पष्ट निर्देश है कि "[illegible] हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटी की भूमि नहीं दी जाएगी"। [illegible] 10 से 16 के द्वारा उक्त निर्देश का उल्लघंन करते हुऐ ही वर्तमान में मौका [illegible] का निवेदन किया जाना धारा 53 का उल्लघंन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या [illegible] 16 एवं इनके अधिवक्ता को प्राथमिक डिक्री एवं बंटवारा रिपोर्ट की जानकारी होने के उपरांत भी निर्णय दिनांक से पूर्व किसी प्रकार का एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्राथमिक डिक्री दिनांक [illegible].05.2015 को ही जारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक के दिन एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना, यह स्पष्ट करता है कि प्रतिवादी संख्या 10 से 16 अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.30 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

चाहते हैं, जो कि न्याय हित के विपरीत होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2022 को अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 19.02.2016 को प्राप्त हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से 16 को पक्षकार भी दिनांक 23.11.2017 को बना दिया गया है, प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट में उक्त प्रतिवादीगण 10 से 16 का 1/3 हिस्सा भी यथावत रखा गया है, अतः वाद के वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो, इस हेतु संशोधित तनकी कायम की जाना आवश्यक नहीं है। अतः तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 19.02.2016 मय नक्शा को स्वीकार करते हुऐ ग्राम भूपालसागर की वादग्रस्त आराजियात का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :

1. श्री लालूराम, मांगीलाल, कालूराम पिता लेरू, श्रीमती हाकरीबाई पत्नी लेरू माली साकिन देह खातेदार

| क.सं. | आराजी संख्या | रकबा हैं. | लगान |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 में से | 0.08 | 1.68 |
| 2 | 182 में से | 0.03 | 0.63 |
| 3 | 184 | 0.01 | 0.02 |
| 4 | 186 | 0.12 | 0.24 |
| 5 | 189 में से | 0.14 | 2.94 |
| 6 | 181 में से | 0.07 | 1.47 |
| 7 | 192 | 0.13 | 0.39 |
| 8 | 190 में से | 0.13 | 1.82 |
| 9 | 191 में से | 0.01 | 0.14 |
| 10 | 193 | 0.13 | 0.39 |
| 11 | 200 में से | 0.11 | 0.66 |
| 12 | 201 में से | 0.10 | 0.60 |
| 13 | 1234 | 0.13 | 0.78 |
| | किता 13 | 1.19 | 11.76 |

2. श्री धन्ना, बाबूलाल, कंकू पिता तलोक माली साकिन देह खातेदार

| क.सं. | आराजी संख्या | रकबा हैं. | लगान |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 में से | 0.11 | 2.31 |
| 2 | 182 में से | 0.14 | 2.94 |
| 3 | 181 में से | 0.11 | 2.31 |
| 4 | 189 में से | 0.13 | 2.73 |
| 5 | 190 में से | 0.12 | 1.68 |
| 6 | 191 में से | 0.12 | 1.68 |
| 7 | 194 में से | 0.14 | 1.96 |
| 8 | 199 | 0.08 | 1.12 |
| 9 | 202 | 0.07 | 0.42 |
| 10 | 200 में से | [illegible] | 0.54 |
| 11 | 201 में से | 0.08 | [illegible] |
| 12 | 2594/203 में से | [illegible] | 0.66 |
| | किता 12 | 1.20 | 18.23 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.30 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

3. श्रीमती डालीबाई बेवा तारू, नारायणी, उदीबाई पुत्री तारू, वरजूबाई बेवा नारा[illegible]रविना ना.बा.ब.वि. माता वरजूबाई बेवा नारायण माली सा. देह

| क.सं. | आराजी संख्या | रकबा हैं. | लगान |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 में से | 0.15 | 0.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0.14 | 1.96 |
| 2 | 188 | 0.02 | 0.12 |
| 3 | 2584/203 में से | 0.31 | 2.98 |
| | किता 3 | | |

4. श्री कालूराम, मोहनलाल, माधूलाल, श्यामलाल, भगवानलाल पिता गणेशलाल, गोपीबाई, गणेशीबाई पुत्री गणेशलाल कुम्हार साकिन देह खातेदार

| क्र.सं. | आराजी संख्या | रकबा हे. | लगान |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 में से | 0.10 | 2.10 |
| 2 | 182 में से | 0.14 | 2.94 |
| 3 | 181 में से | 0.14 | 2.94 |
| 4 | 190 में से | 0.14 | 1.96 |
| 5 | 191 में से | 0.12 | 1.68 |
| 6 | 194 में से | 0.13 | 1.82 |
| 7 | 189 में से | 0.14 | 2.94 |
| | किता 7 | 0.91 | 16.38 |

5. श्रीमती डालीबाई बेवा तारू, नारायणी, उदीबाई पुत्री तारू, वरजूबाई बेवा नारायण, रविना ना.बा.ब.वि. माता वरजूबाई बेवा नारायण 1/3, लालूराम, मांगीलाल, कालूराम पिता लेरू, श्रीमती हाकरीबाई पत्नी लेरू 1/3, धन्ना, बाबूलाल, कंकू पिता तलोक 1/3 माली सा. देह

| क्र.सं. | आराजी संख्या | रकबा हे. | ल्गान |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 में से | 0.03 | 0.18 |
| 2 | 2584/203 में से | 0.01 | 0.06 |
| | किता 2 | 0.04 | 0.24 |

6. श्री कालूराम, मोहनलाल, माधूलाल, श्यामलाल, भगवानलाल पिता गणेशलाल, गोपीबाई, गणेशीबाई पुत्री गणेशलाल कुम्हार 1/3, लालूराम, मांगीलाल, कालूराम पिता लेरू, श्रीमती हाकरीबाई पत्नी लेरू 1/3, धन्ना, बाबूलाल, कंकू पिता तलोक 1/3 माली सा. देह

| क्र.सं. | आराजी संख्या | रकबा हे. | ल्गान |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 0.03 | आ.चा. |
| | किता 1 | 0.03 | – |

उक्तानुसार अंतिम डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संलग्न वाद संख्या 4/2014 के साथ संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

दिनांक : 29/09/2022

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.30 16:17:43 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर